वर्ष	रुपये करोड़ में
1992-93	419.14
1993-94	441.33
1994-95	462.41
1995-96	511.10
1996-97	667.93
	2501.91

(ख) विदेशी तथा निजी प्रसारण माध्यमों द्वारा अर्जित कुल राजस्व से संबंधित आंकड़े चूंकि सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं इसलिए दूरदर्शन तथा आकाशवाणी की आय के सन्दर्भ में कोई तुलना नहीं की जा सकती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) चूंकि आठवीं योजना में प्रसार भारती की आय में वर्ष-दर-वर्ष लगातार वृद्धि हुई है इसलिए कोई मूल्यांकन नहीं किया गया।

विज्ञापन के क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश

1505. **श्री कपिल सिब्बल:**
श्री राज मोहिन्दर सिंह:

क्या **सूचना और प्रसार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार की नीति के अनुसार विज्ञापन के क्षेत्र में कार्यरत कम्पनियों को अक्तूबर, 1998 में शत् प्रतिशत विदेशी पूंजी निवेश की स्वीकृति दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और क्या यह भी सच है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम चरण में इस नीति में परिवर्तन करने पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो विचाराधीन संभावित परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है और पूर्व नीति में परिवर्तन किए जाने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

देश में प्रसारण क्षमता का सृजन और उपयोग

1506. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न राज्यों में प्रसारण क्षमता के सृजन और उपयोग में अत्यधिक अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस अन्तर को समाप्त करने हेतु कोई वृहद योजना तैयार की है और इसके लिए कोई मूल्यांकन भी किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): (क) और (ख) विभिन्न राज्यों में रेडियो कवरेज की उपलब्धता के संबंध में कोई ज्यादा अन्तर नहीं है तथापि, स्थलीय टेलीविजन कवरेज के मामले में यह अन्तर विद्यमान है। राज्य-वार, रेडियो तथा टेलीविजन कवरेज (क्षेत्र एवं जनसंख्यावार) दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। **(नीचे देखिए)**

(ग) से (ङ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि आकाशवाणी तथा दूरदर्शन द्वारा यथासंभव अधिकतम दर्शकों को रेडियो/टेलीविजन कवरेज प्रदान करने का सतत् रूप से प्रयास किया जाता है। आकाशवाणी/दूरदर्शन सेवाओं का समस्त देश में चरणबद्ध रूप से विस्तार किया जा रहा है। रेडियो/टेलीविजन परियोनाओं के बारे में अंतिम निर्णय करते समय सम्बन्धित क्षेत्र में विद्यमान रेडियो/टेलीविजन कवरेज एवं लोगों की मांग, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, सीमावर्ती, पहाड़ी एवं जनजातीय क्षेत्रों में कवरेज को सुदृढ़ करने तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता आदि जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा जाता है। देश में रेडियो/टेलीविजन कवरेज के और विस्तार के लिए वर्तमान में भिन्न-भिन्न क्षमता के 98 रेडियो ट्रांसमीटर तथा 278 टेलीविजन ट्रांसमीटर कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और 9वीं योजना अवधि के दौरान कुछ और स्कीमों को शुरू करने का विचार है।

विवरण

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	विद्यमान कवरेज आकाशवाणी-दूरदर्शन			
1	2	3	4	5	6
		क्षेत्र (%)	जनसंख्या (%)	क्षेत्र (%)	जनसंख्या (%)
1.	आंध्र प्रदेश	98.0	99.0	79.3	86.0
2.	अरूणाचल रदेश	98.0	99.0	15.3	50.1
3.	असम	83.0	83.0	74.0	82.0
4.	बिहार	99.0*	99.0*	94.4	94.2
5.	गोवा	99.0*	99.0*	99.9	99.9
6.	गुजरात	99.0*	99.0*	73.4	83.9
7.	हरियाणा	99.0*	99.0*	96.6	98.5
8.	हिमाचल प्रदेश	55.0	89.0	42.1	66.3
9.	जम्मू एवं कश्मीर	32.0	98.0	33.7	91.7
10.	कर्नाटक	95.0	96.0	69.0	75.2
11.	केरल	98.5	98.5	86.9	88.2
12.	मध्य प्रदेश	96.0	98.0	67.7	72.6
13.	महाराष्ट्र	98.0	98.0	76.6	86.5
14.	मणिपुर	99.0*	99.0*	32.1	67.0
15.	मेघालय	96.0	96.0	94.6	97.2
16.	मिजोरम	89.0	92.0	67.6	72.3
17.	नागालैण्ड	96.0	97.0	68.5	69.6
18.	उड़ीसा	98.0	98.0	83.1	87.9
19.	पंजाब	99.0*	99.0*	99.9	99.9
20.	राजस्थान	92.0	99.0	56.3	68.9
21.	सिक्किम	70.0	95.0	77.4	95.0
22.	तमिलनाडु	99.0	99.0	91.2	91.3
23.	त्रिपुरा	99.0*	99.0*	93.5	93.5
24.	उत्तर प्रदेश	89.5	97.5	81.2	93.3
25.	पश्चिम बंगाल	99.0*	99.0*	95.4	96.0
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	80.0	85.0	26.2	99.5
27.	चंडीगढ़	99.0*	99.0*	99.9	99.9
28.	दादरा एवं नगर हवेली	99.0*	99.0*	65.2	65.0
29.	दिल्ली	99.0*	99.0*	99.9	99.9
30.	दमण एवं द्वीव	99.0*	99.0*	99.9	99.9

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	विद्यमान कवरेज आकाशवाणी-दूरदर्शन			
1	2	3	4	5	6
		क्षेत्र (%)	जनसंख्या (%)	क्षेत्र (%)	जनसंख्या (%)
31.	लक्षद्वीप द्वीप समूह	99.0*	99.0*	99.0	99.0
32.	पांडिचेरी	99.0*	99.0*	99.9	99.9
	राष्ट्रीय औसत	90.0	97.3	72.9	87.6

टिप्पणी:

1. कवरेज आंकड़ों में दूरवर्ती क्षेत्र शामिल है (दूरवर्ती क्षेत्रों में प्रसारण प्राप्त करने के लिए उन्नत एन्टेना तथा बूस्टर आवश्यक होते हैं)।
2. भू-भागीय परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखा गया है।
3. 99.9% कवरेज उन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के संबंध में इंगित की गई है जिनके समस्त क्षेत्र/जनसंख्या, विद्यमान/प्रस्तावित ट्रांसमीटरों के कवरेज क्षेत्र में आते हैं। आच्छादित क्षेत्रों के कारण इन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में कुछ बिना कवर किए पॉकेट हो सकते हैं।
4. *इन राज्यों में कवरेज को सामान्यतया अर्थात् कुछ परिस्थितियों की विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखे बिना, 100% माना जा सकता है।

Monitoring of DDK and Akashwani

1507. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether certain DDK and AIR stations are being monitored by Government;

(b) if so, the details of the monitoring work carried out during the last three years;

(c) the shortcomings noticed by Government as a result thereof;

(d) what action has been taken by Government in this regard; and

(e) if no action has taken, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING: (SHRI MUKHTAR NAQVI): (a) No, Sir.

(b) to (e) Do not arise.

Autonomy to Prasar Bharati

1508. SHRI S.M. KRISHNA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether the Prasar Bharati Board has since been reconstituted, if so, the details of the Board Members including terms and conditions fixed for their appointment;

(b) whether it is a fact that the Board Members have complained that there is no autonomy for the Board as all financial and service matters are being dealt with by the Ministry; and

(c) if so, the reasons therefor and the steps proposed to ensure autonomy to the Board?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI MUKHTAR NAQVI): (a) No, Sir.

(b) No such communication has been received from the Prasar Bharati Board.

(c) Does not arise.